प्र.स. 2023/129 offline — 94/2023

लाली पत्नि जानकी बनाम देवेन्द्र पुत्र छोटू

23/8/23 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 20/9/23 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

प्रतिलिपि 3री मौके से प्राप्त की है।
तसदीकशुदा

20/9/23 पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी सं. 3, 8 से 12, 27 के शपथ पत्र अलग चाहते हैं। न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। विपक्षी सं. 1, 4, 5, 6, 7, 13 से 17, 20, 21, 22, 25 से 33 के जवाब (विधिवत तामील पश्चात) वकील प्रतीक्षा समाप्ति पश्चात पेश करें, पत्रावली पर सुनवाई करें। अन्य विपक्षीगण उपस्थित होकर अनुपस्थित न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। प्रकरण दिनांक 25/10/2023 को पेश हो।

25/10/23 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 18/11/23 को पेश हो।

आदेश से रीडर

18/11/23 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 17/2/23 को पेश हो।

आदेश से रीडर

22/2/23 प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मुकदमा के वादपत्र पेश करने के पत्रावली पिछले से तलब की गयी मुकदमा सं. 25/2023 के पंजीकरण के संबंध सतीनामा हो जाने के सतीनामा वादपत्र के आधार पर प्रकरण विपक्षी के आधार पर खारिज किया जाता है। वादपत्र प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 एससी में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 एससी में अस्वीकृत की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीलवाड़ा

ति लाली

ति जानकी